रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2010/श्रावण 28, 1932
No. 463] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2010/SHRAVANA 28, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 688(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, सिक्किम सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) दशम संशोधन विनियमावली, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "सिक्किम" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सिक्किम

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	75	तैनाती हेतु न्यूनतम कार्यकाल (वर्षों में)
	सरकार के मुख्य सचिव	1	-
	अपर मुख्य सचिव	1	2
	प्रधान मुख्य सचिव	4	2
	आयुक्त व सचिव	8	2
	सरकार के सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	9	2
	जिला न्यायाधीश और कलैक्टर	4	2
1.	कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद		27
2.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 40% से अधिक नहीं		10
3.	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 25% से अधिक नहीं		06
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 3.5% से अधिक नहीं		01
5.	अवकाश रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 का 16.5% से अधिक नहीं		04
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं।		14

7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मदें 1+2+3+4+5–6)	34
	कुल प्राधिकृत संख्या	48

[फा. सं. 11031/02/2010–अ.भा.से.–II–क]

रोली सिंह, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व सिक्किम के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 50 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22–10–1955 को सं. एस.आर.ओ. 3350, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात्, भारतीय प्रशासनिक संवर्ग सिक्किम संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था :—

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	404(अ)	16-6-1976
2.	419	8-5-1982
3.	123	15-2-1986
4.	190	26-3-1988
5.	872	12-11-1988
6.	237	15-5-1993
7.	319(अ)	31-3-1995
8.	739(अ)	31-12-1997
9.	367(अ)	19-5-1999
10.	224	9-7-2005
11.	79(अ)	8-2-2008
12.	188(अ)	24-3-2009

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2010

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (LXI of 1951) read with sub-rules (1) and (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Sikkim hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Tenth Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the heading "Sikkim" for the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely :—

Sikkim

	Senior duty Posts under the State Government	27	Minimum tenure for posting (in years)
	Chief Secretary to the Government	1	-
	Additional Chief Secretary	1	2
	Principal Chief Secretary	4	2
	Commissioner-cum-Secretary	8	2
	Secretary to Government/Joint Secretaries/Deputy Secretaries	9	2
	District Magistrate and Collector	4	2
1.	**Total Senior Duty Posts**		**27**
2.	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of Item 1 above		10
3.	State Deputation Reserve not exceeding 25% of Item 1 above		6
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above		1
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above		4
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 9 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of item 1, 2, 3 and 4		14
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)		34
	Total Authorized Strength		**48**

[F. No. 11031/02/2010-AIS-II-A]

ROLI SINGH, Director (Services)

Note 1 : Prior to the issue of this notification, the total Authorized Strength of Sikkim IAS Cadre was 50.

Note 2 : The principal Regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350, dated 22-10-1955. Subsequently, they were amended in respect of the Sikkim Cadre of Indian

Administrative Service *vide* following G.S.R. numbers and dates :—

Sl. No.	G.S.R. No.	Date
1.	404(E)	16-6-1976
2.	419	8-5-1982
3.	123	15-2-1986
4.	190	26-3-1988
5.	872	12-11-1988
6.	237	15-5-1993
7.	319(E)	31-3-1995
8.	739(E)	31-12-1997
9.	367(E)	19-5-1999
10.	224	9-7-2005
11.	79(E)	8-2-2008
12.	188(E)	24-3-2009

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 689(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, सिक्किम सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन), बारहवां संशोधन नियमावली, 2010 है ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 :—

(क) तालिका में ''अनुसूची II-क, में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों'' में प्रथम कॉलम में ''सिक्किम'' प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तद्नुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

सिक्किम

सरकार के मुख्य सचिव	रुपए 80000 (नियत)
अपर मुख्य सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान – रु. 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) – रु. 79000
प्रधान मुख्य सचिव	एच.ए.जी. वेतनमान 67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3% की दर से)– रु. 79000
आयुक्त व सचिव	वेतनबैंड – 4 + ग्रेड पे रु. 10000

(ख) ''अनुसूची-II-भाग ख'' में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में ''सिक्किम'' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

सरकार के अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप-सचिव

जिला न्यायधीश और कलैक्टर

[फा. सं. 11031/02/2010-अ.भा.से.-II-ख]

रोली सिंह, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 20-3-2008 की सं. सा.का.नि. 213(अ) द्वारा भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किए गए एवं तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 665(अ), दिनांक 19-9-2008, 123(अ), दिनांक 15-4-2009, सं. सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 21-7-2009, सं. सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 13-08-2009, सं. सा.का.नि. 820, दिनांक 12-11-2009, सं. सा.का.नि. 72(अ), दिनांक 10-2-2010, सं. सा.का.नि. 102(अ), दिनांक 25-2-2010, सं. सा.का.नि. 191(अ), दिनांक 12-3-2010 एवं सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 8-4-2010, सं. सा.का.नि. 397(अ), दिनांक 11-5-2010 सं. सा.का.नि. 404(अ), दिनांक 13-5-2010, सं. सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 17-5-2010, सं. सा.का.नि. 432(अ), दिनांक 20-5-2010, सं. सा.का.नि. 434(अ), दिनांक 20-5-2010, सं. सा.का.नि. 451(अ), दिनांक 26-5-2010 और सं. सा.का.नि. 618(अ), दिनांक 23-7-2010 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2010

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, in consultation with the Government of Sikkim hereby makes the following rules futher to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007, namely :—

1. (i) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Twelth Amendment Rules, 2010.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2007:—

In "Schedule II-A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry "SIKKIM" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely :—

"SIKKIM"

Chief Secretary to the Government	Rs. 80000 (fixed)
Additional Chief Secretary	HAG Scale - Rs.67000 (annual increment @ 3%) - Rs.79000

Principal Chief Secretary	HAG Scale-67000 [annual Increment @ 3%] - 79000
Commissioner-cum-Secretary	PB-4 + GP Rs. 10000

(b) In "Schedule II-Part B" Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay, for the entries occurring under 'Sikkim', the following shall be substituted, namely :—

Secretary to Government/Joint Secretaries/Deputy Secretaries

District Magistrate and Collector

[F. No. 11031/02/2010-AIS-II-B]

ROLI SINGH, Director (Services)

Note : The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, *vide* No. G.S.R. 213(E), dated 20-3-2008 and subsequently were amended *vide* No. G.S.R. 665(E), dated 19-9-2008, No. G.S.R. 123(E), dated 15-4-2009, No. G.S.R. 542(E), dated 21-7-2009, No. G.S.R. 572(E), dated 13-8-2009, No. G.S.R. 820(E), dated 12-11-2009, No. G.S.R. 72(E), dated 10-2-2010, No. G.S.R. 102(E), dated 25-2-2010, No. G.S.R. 191(E), dated 12-3-2010, No. G.S.R. 298(E), dated 8-4-2010, No. G.S.R. 397(E), dated 11-5-2010, No. G.S.R. 404(E), dated 13-5-2010, No. G.S.R. 413(E), dated 17-5-2010, No. G.S.R. 432(E), dated 20-5-2010, No. G.S.R. 434(E), dated 20-5-2010, No. G.S.R. 451(E), dated 26-5-2010 and No. G.S.R. 618(E), dated 23-7-2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.